कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ16(सी)99/वसु/प्रमुवसं/ 7640 दिनांक 22.9.2001

दिनांक 30.8.2001 को अलवर में आयोजित पर्यावरण संबंधी मीटिंग में प्रमुख शासन सचिव महोदया द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रत्येक जिले में प्रादेशिक मण्डल वन अधिकारी द्वारा हर माह की 15 तारीख को एक कैम्प आयोजित किया जावे, जिसमें जिला स्तर के अन्य मण्डल अधिकारी, सहायक वन संरक्षक तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी उपस्थित हों। इस कैम्प के संबंध में समस्त विभागों को जिला स्तर पर यह सूचित किया जाये कि कैम्प का आयोजन इस विभाग द्वारा इसलिये किया जा रहा है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत लम्बित प्रकरणों के निस्तारण में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई महसूस की जा रही है अथवा किसी नियम की जानकारी चाही जानी है तो कैम्प के दिन उनके विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित होकर इसका निराकरण करा सकेंगे।
समस्त विभागों को उनके द्वारा चाहे जाने पर वन (संरक्षण) अधिनियम से संबंधित आवेदन पत्र, परिपत्र इत्यादि संबंधित मण्डल वन अधिकारी उपलब्ध करायेंगे।
उपरोक्तानुसार कैम्प का प्रचार स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी किया जाना सुनिश्चित करें। यदि माह की 15 तारीख को अवकाश हो तो उक्त कैम्प आगामी कार्य दिवस में रखा जावे।
प्रमुख शासन सचिव महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों की उपरोक्तानुसार पालना करना सुनिश्चित करें।

हस्ताक्षर/-
मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर